कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / 2020 दिनांक : 13.04.2020

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।

विषय :– अधिकारियों एवं कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति की वास्तविक अद्यतन सूचना शाला दर्पण पर दर्ज करवाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांकः–शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / 2020 दिनांक : 12.04.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक आदेश दिनांक : 12.04.2020 द्वारा आज दिनांक : 13.04.2020 को समस्त कार्मिकों की मुख्यालय पर उपलब्धता के सम्बन्ध में ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल के माध्यम से सूचना अंकन के निर्देश दिए गए थे, जिस पर ऑनलाइन सूचना अंकन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है।

प्रासंगिक आदेश दिनांक : 12.04.2020 के द्वारा आपको अपने ब्लॉक से सम्बन्धित समेकित सूचना उपखण्ड के माध्यम से जिला प्रशासन को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त सूचना प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नवत कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करावें :–

1 ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल में आपके ब्लॉक से सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा भरी गई सूचना को आपके लॉगइन से अनलॉक किए जाने की सुविधा दी जा रही हैं। इस सुविधा का उपयोग करते हुए संस्थाप्रधान या PEEO द्वारा भरी गई सूचना को दिनांकः 14.04.2020 को दोपहर 12.00 बजे तक आप अनलॉक कर सकेंगे। अतः किसी कर्मिक की उपस्थिति सूचना के सम्बन्ध में कोई शिकायत, संशय या त्रुटि होने पर अनलॉक करके PEEO / संस्थाप्रधान के लॉगइन से तत्काल दूरभाष पर निर्देश देकर संशोधन करा सकेंगे।

2 CBEO लॉगइन से अनलॉक उपरान्त PEEO / संस्थाप्रधान दिनांक : 14.04.2020 को सांय 5.00 बजे तक सूचना पुनः लॉक कर सकेंगे।

3 बिन्दु सं02 के अनुसार पुनः लॉक की गई सूचना अंतिम मानी जाएगी और इसमें आगे कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

4 प्रासंगिक आदेश दिनांक : 12.04.2020 में, जिन विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन सूचना भरा जाना सम्भव नहीं हो सका हो, उनकी सूचना दूरभाष के माध्यम से लेने के निर्देश दिए गए थे। इसके अतिकमण में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने ब्लॉक से सम्बन्धित शत–प्रतिशत सूचना ऑनलाइन अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें।

5 प्रशासन को प्रस्तुतः सूचना एवं ऑनलाइन अंकित सूचना में किसी भी प्रकार की भिन्नता नही हो। यह सुनिश्चित किया जावें।

6 यह भी सुनिश्चित करे कि किसी कार्मिक की सेवा निवृति, आकस्मिक मृत्यु या अन्य किसी भी कारण से ऑनलाइन कार्यमुक्ति न होने के कारण पोर्टल पर ऐसे कार्मिक का डाटा होने की वजह से मुख्यालय की सूचना अंकन में कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए सूचना अंकन से पूर्व ऐसे कार्मिकों को ऑनलाइन कार्यमुक्ति या पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही कर शुद्धतम सूचना की प्रविष्टि सुनिश्चित करावें।

उक्तानुसार शत–प्रतिशत विद्यालयों की सूचना, ऑनलाइन अंकित होने के उपरान्त उसे डाउनलोड / प्रिण्ट सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को उलब्ध करावें।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / 2020 दिनांक : 13.04.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।

8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
9. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर